

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा, जिला चित्तौडगढ़ (राज.)

प्रकरण संख्या- 14 / 2020

निर्णय दिनांक -10.06.2020

1. संताषी पिता नारायण जाति नायक आयु वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ ।
2. माना पिता नारायण जाति नायक आयु वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ ।
3. रेखा पिता नारायण जाति नायक आयु वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ ।
4. बालुडी पिता नारायण जाति नायक आयु वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ ।
5. कान्ति पिता नारायण जाति नायक आयु वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ ।
6. शान्ति पत्नि नारायण जाति नायक आयु वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ ।
7. श्री गोपाल पिता मोहन जाति नायक आयु वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ ।

— प्रार्थी

// बनाम //

1. श्री हुक्मी चन्द पिता गमेर जाति नायक आयु वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ ।
2. श्री प्रहलाद पिता दलीचन्द जाति नायक आयु वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ ।
3. श्री नारायण पिता गमेर जाति नायक आयु वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ ।
4. श्री देवीलाल पिता नारायण जाति नायक आयु वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ ।
5. महेश पिता नारायण जाति नायक आयु वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ ।
6. इन्दरमल पिता तुलसीरामजाति नायक आयु वयस्क निवासी लक्ष्मीपुरा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ ।

—विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0 ले0रे0एक्ट आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रार्थीगण ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का बिनोता तह0 निम्बाहेडा में खाता संख्या 25 की आराजी नं0 1082 रकबा 0.9500 हैक्टेयर, आराजी नं0 1121 रकबा 0.7200 हैक्टेयर, कुल कित्ता 2 कुल रकबा 1.6700 हैक्टेयर की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षीगण प्रार्थीगण की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थीगण राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेडा को 600/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा लक्ष्मीपुरा पटवार हल्का बिनोता तह0 निम्बाहेडा में खाता संख्या 25 की आराजी नं0 1082 रकबा 0.9500 हैक्टेयर, आराजी नं0 1121 रकबा 0.7200 हैक्टेयर, कुल किता 2 कुल रकबा 1.6700 हैक्टेयर की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करे। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करें।

आज दिनांक 10.06.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।



(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

